

Violation Letter
E-MAIL / स्पीड पोस्ट



भारत सरकार **Government of India**
खान मंत्रालय **Ministry of Mines**
भारतीय खान ब्यूरो **Indian Bureau of Mines**
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय **Office of the Regional Controller of Mines**
भारतीय सर्वेक्षण परिसरकी भवन संख्या- 61, भूतल, सर्वे चौक, 17-ईसी रोड, देहरादून -248001(उत्तराखण्ड)
Building No.61, Ground Floor, Survey of India Campus, Survey Chowk, 17 EC Road, Dehradun -248001 (U.K.)
100TEL- 0135-2676350 / 2671896, E-mail - ro.dehradun@ibm.gov.in



फाईल संख्या/ File No: MCDR-MiFLOLST/8/2023-DDN-IBM_RO_DDN

Mine Code:
38HPR10065

दिनांक:- 17.02.2024

सेवा में /To : मैसर्स गिरी लाइम एंड्स केमिकल्स,
प्रोप श्री अरुण ग्रोवर हाउस नंबर -21, वार्ड
नंबर -3 बद्रीनगर, तहसील -पौंटा साहब,
जिला-सिरमौर (हि.प्र.)

Email- grover.arun@ymail.com

विषय /Sub: ग्राम- चौकी मृगवाल, तहसील-पांवटा साहिब, जिला- सिरमौर हिमाचल प्रदेश के पास 3.9 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र में स्थित आपकी चौकी मृगवाल चूना पत्थर खदान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन के संबंध में।

महोदय /Sir,

उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 03.01.2025 को श्री अरुण ग्रोवर, खान मलिक की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया था एवं निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के निम्न प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया।

RULE NO.	NATURE OF VIOLATION OBSERVED
11(1)	Mining Operation were not carried out in accordance with Review and Updation the mining plan approved vide letter 614(2)/MP-B-317/11- DDN dated 08.09.2021 to the following extent: 1. <i>During 2023-24, the development of 2 benches were proposed from 1480 mRL to 1470 mRL and 1 bench from 1440 mRL to 1435 mRL with a height of 5 meters. However, during the inspection, the bench height was found to exceed 6 meters.</i>
45 (7)	In the submitted annual return of 2023-24 discrepancy are found as follows: i. <i>It has been observed that you have submitted incomplete information by not providing the registration number of purchasers of mineral in the Annual returns.</i> ii. <i>You mentioned the part time geologist in annual return therefore you are requested to submit the details and notice of appointment of geologist as per Rule 55 of MCDR (2017).</i> iii. <i>Fill the production and the ex-mine price details in their respective table.</i>

- इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 11(1) का उल्लंघन नियम 62(1) एम सी डी आर संसोधन नियम -2021 के तहत दंडनीय अपराध है | 45(7) का उल्लंघन नियम 62(2) एम सी डी आर संसोधन नियम 2021 के तहत दंडनीय है।
- इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 11(1) का उल्लंघन नियम 62(1) एम सी डी आर संसोधन नियम -2021 के तहत दंडनीय अपराध है |
- इसके अतिरिक्त नियम 11(1) की पालना निर्धारित समयावधि में न होने पर नियम 11(2) के तहत खनन कार्य स्थगन करने की अनुसंधान की जा सकती है, और / या आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

5. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजे।

भवदीय/ Yours faithfully,

(नितिन/Nitin)

कनिष्ठ खनन भू-विज्ञानी /Junior Mining Geologist
भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mines

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (zo.udaipur@ibm.gov.in)
- 2- निदेशक उद्योग निदेशालय, हि0 प्र 0 सरकार, उद्योग भवन, शिमला (हि0 प्र 0). (geologicalwing@gmail.com)
- 3- गार्ड फाइल

(नितिन/Nitin)

कनिष्ठ खनन भू-विज्ञानी /Junior Mining Geologist
भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mines